

बरेली जोन के अन्तर्गत बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, चन्दौसी, बिजनौर एवं रामपुर की सम्पत्तियों का

नीलामी स्थल :
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
122, सिविल लाइन्स, बरेली

आवंटन/नीलामी
दिनांक 31.07.2012
समय : प्रातः 11.00 बजे

आवंटन/नीलामी

लाटरी ड्रा द्वारा आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	अनुमानित मूल्य रु. (लाख में) / प्र.व.मी.	बयाना धनराशि / टोकन मनी (लाख में)
बैम्बे योजना, सी.बी.गंज, बरेली				
बैम्बे भवन (निरस्तीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से (01 नग) प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैम्बे भवनों का आवंटन किया जायेगा)		25.00	0.20	0.05
बरेली मोड़ योजना संख्या-03, शाहजहाँपुर				
आवासीय भूखण्ड 300.00 वर्ग मी. से बड़े 3/64	(01 नग)	342.00	16.86	0.85
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद				
आवासीय भूखण्ड				
51 से 80 वर्गमीटर तक (आर1-ए2)	47	51.00 से 80.00	9744.00 प्र.व.मी.	0.39
81 से 170 वर्गमीटर तक (आर1-बी)	12	81.00 से 170.00	9744.00 प्र.व.मी.	0.83
171 से 250 वर्गमीटर तक (आर1-सी)	01	200.00	9744.00 प्र.व.मी.	1.00
251 वर्ग मीटर से अधिक (आर1-डी)	03	312.50 से 454.50	9744.00 प्र.व.मी.	2.22
भागीरथी योजना, बिजनौर				
भूखण्ड	01	75	5936.00 प्र.व.मी.	0.23
बैम्बे योजना, रामपुर				
बैम्बे भवन-ए-15, 188, 279, 356, बी-104, 131 (डूडा, रामपुर द्वारा चयनित लाभार्थियों के मध्य आवंटन किया जायेगा)	06	25.01	20000.00 प्रति भवन	0.05

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	अनुमानित मूल्य रु. (लाख में) / टोकन मनी (लाख में)	बयाना धनराशि / टोकन मनी (लाख में)
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद				
नवविकसित प्रीमियम हाउसिंग भूखण्ड				
पीएच/6ए-09	01	372.39	14616.00 प्र.व.मी.	5.45
पीएच/6ए-10	01	374.33	14616.00 प्र.व.मी.	5.48

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक/अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण

राजेन्द्र नगर योजना संख्या-02, बरेली				
हाल्स प्रथम तल - एच-3, एच-4	(02 नग)	77.55	26.59 प्रति नग	2.65
दुकाने (ई ब्लॉक) - 6, 7, 11, 13	(04 नग)	16.00	10.34	1.04
दुकाने (ई ब्लॉक) - 12	(01 नग)	39.954	25.80	2.60
बरेली मोड़ योजना संख्या-03, शाहजहाँपुर				
व्यवसायिक भूखण्ड				
1/ कॉम-7	(01 नग)	533.51	10842 प्र.व.मी.	5.79
1/ कॉम-8, 1/ कॉम-9, 1/ कॉम-10, 1/ कॉम-11	(04 नग)	509.00	9856 प्र.व.मी.	5.02
1/ कॉम-12	(01 नग)	852.57	10842 प्र.व.मी.	9.25
कम्प्युनिटी सेन्टर-सी.सी.-5/1	(01 नग)	4352.25	5324 प्र.व.मी.	23.18
दुकाने हेतु भूखण्ड-सी.एस.-5/6	(01 नग)	78.30	9856 प्र.व.मी.	0.78

टैगोर नगर योजना, पीलीभीत				
दुकानें -	(14 नग)			
एस-2 से एस-12		9.96 से 11.62	4.71 से 5.49	0.48 से 0.55
एस-14, एस-15		10.64	5.03	0.51
एस-16		11.62	5.49	0.55
दुकाने भूखण्ड - भूखण्ड संख्या-5	(01 नग)	52.50	10528 प्र.व.मी.	0.56

नोट : आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित सम्पत्तियों आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध न होने की दशा में अनारक्षित व्यक्तियों के मध्य आवंटित कर दी जायेगी।

बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद				
व्यावसायिक भूखण्ड - 4ए-कॉम-सी.पी.-01 (कार्नर)	01	421.54	22176.00 प्र.व.मी.	9.35
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद				
कम्प्युनिटी सेन्टर - 6ए/01 (लीज पर)	01	4613.13	9570.00 प्र.व.मी.	44.15
व्यावसायिक भूखण्ड - 6ए/01 कार्नर (अनु.जाति) सी.पी. 7सी/1बी	01	640.00	21437.00 प्र.व.मी.	13.72
	01	2388.83	19488.00 प्र.व.मी.	46.56
व्यावसायिक भूखण्ड - 6ए/02, 05 (अन्य पिछड़ा वर्ग) सी.पी. 7सी/1ए कार्नर	02	480.00	19488.00 प्र.व.मी.	9.35
	01	2236.15	21437.00 प्र.व.मी.	47.94
व्यावसायिक भूखण्ड - 6ए/03, 04, 06 (अनारक्षित) सी.पी. 7सी/1सी कार्नर	03	480.00	19488.00 प्र.व.मी.	9.36
	01	2337.00	21437.00 प्र.व.मी.	50.10
व्यावसायिक भूखण्ड - 7बी/1ए कार्नर	01	2082.01	21437.00 प्र.व.मी.	44.63
	01	2354.55	19488.00 प्र.व.मी.	45.89
	01	2139.22	21437.00 प्र.व.मी.	45.86

उक्त नवविकसित सम्पत्तियों की नीलामी में परिषद नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

जिगर बिहार योजना, मुरादाबाद				
कम्प्युनिटी सेन्टर भूखण्ड - कम्प्युनिटी सेन्टर (लीज पर)	01	928.00	11000.00 प्र.व.मी.	10.21
लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद				
दुकानें - एस-71	01	17.49	6.81	0.69
एस-72, 73	02	16.89	6.58	0.66
एस-81, 82, 83, 84	04	16.52	5.90	0.59
नवविकसित दुकानें-इन दुकानों में नियमानुसार आरक्षण निर्धारित करने के उपरान्त नीलामी की जायेगी।				
एस.एफ.एस.-71	01	16.07	8.15	0.82
एस.एफ.एस.-60	01	13.38	6.79	0.68
एस.एफ.एस.-62, 88, 89	03	7.73	3.92	0.40
एस.एफ.एस.-75	01	4.00	2.03	0.21
एस.एफ.एस.-81	01	3.99	2.02	0.21
एस.एफ.एस.-82, 85	02	3.77	1.91	0.20
एस.एफ.एस.-64	01	3.74	1.90	0.19

सम्भल गेट योजना संख्या - 1 चन्दौसी				
कम्प्युनिटी सेन्टर भूखण्ड - कम्प्युनिटी सेन्टर (लीज पर)	01	1371.77	6413.00 प्र.व.मी.	8.80
दुकानें - एस-10, 11, 12, 13, 14, 15	06	11.22	7.43	0.75
एस-16	01	11.66	7.86	0.79

भागीरथी योजना, बिजनौर				
दुकानें - एस-4, 5, 8, 9, 10	05	9.61	5.65	0.57
एस-3	01	18.18	10.70	1.07

आवंटन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप 1. योजना/शहर का नाम..... 2. भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल..... 3. आवेदक का नाम..... 4. पिता/पति का नाम..... 5. पत्र व्यवहार का पता....., स्थायी पता..... 6. दूरभाष/मोबाइल नं....., ई-मेल आई.डी....., दिनांक..... 7. आरक्षण श्रेणी..... (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करें)..... 8. संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... 9. निर्गतकर्ता बैंक का नाम....., धनराशि..... 10. भुगतान का विकल्प....., आवेदक के हस्ताक्षर....., तिथि....., स्थान.....

सील बिल का प्रारूप : 1. योजना/शहर का नाम..... 2. सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... 3. आरक्षित मूल्य..... 4. ऑफर मूल्य/दर..... (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) 5. टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु..... 6. बैंक ड्राफ्ट संख्या....., दिनांक..... 7. नाम..... 8. पिता/पति का नाम..... 9. आरक्षण..... (यदि कोई राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न) 10. पत्र व्यवहार का पता..... 11. दूरभाष/मोबाइल नं....., ई-मेल आई.डी....., हस्ताक्षर..... 12. दिनांक....., स्थल....., नाम-पिता का नाम-संस्था/फर्म/कम्पनी का नाम..... पूरा पता.....

घोषणा का प्रारूप (आवेदन एवं सील बिल एवं दोनों के साथ आवश्यक) : 1. मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सम्पत्ति जहाँ है, जैसी है, के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। 2. मेरे, पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित (.....) शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं। 3. मेरे, पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की गत वित्तीय वर्ष 2010-11 की समस्त श्रेणियों से आय रु..... से अधिक नहीं थी। तिथि..... स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

नियम व शर्तें : 1. समस्त आवेदनों के साथ विज्ञापन में नीचे अंकित प्रारूप पर घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 2. आवेदन/सील बिल फार्म सम्बन्धित शहर/योजना के स.प्र. कार्यालय/जोन कार्यालय से भी रु. 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 3. सील बिल/ऑफर अंकित करते हुए रु. 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बिल फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक सम्बन्धित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 4. आवंटन हेतु आवेदन-पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिल सम्बन्धित शहर/योजना के लिये उल्लिखित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है :- कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 122, सिविल लाइन्स, बरेली (सभी नगरों हेतु) सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, टैगोर नगर, पीलीभीत। सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, योजना सं. 3, बरेली मोड़, शाहजहाँपुर। सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, एफ-2, 3 एवं 4 (प्रथम तल), सत्यम सिनेमा के सामने, लाजपत नगर, मुरादाबाद। 5. सम्पत्ति संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 6. आवंटन हेतु निर्धारित आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन/शासनादेश/परिषद के प्रदेश सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 7. आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र दिनांक 28.07.2012 तथा सील बिल दिनांक 30.07.2012, सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के दिन नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 8. अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 9. सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है, जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। 10. सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख उपरान्त किया जायेगा। 11. आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ.प्र. के किसी अन्य नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 12. एक आवेदक द्वारा एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में प्रत्येक के लिए पृथक-पृथक आवेदन पत्र व पंजीकरण धनराशि जमा करनी होगी। सफलता की स्थिति में एक भवन/भूखण्ड देय होगा एवं शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 13. सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर **Public Notice** के अन्तर्गत देखा जा सकता है। 14. समस्त प्रकरणों में परिषद के अद्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

परिषद से सम्बन्धित समस्या, हमसे कहें

डायल करें : **1800-180-5333 (टोल-फ्री)**
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website : <http://www.upavp.com> E-mail : upavp@sanchar.net.in